न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/352

1. रामकंवरी पुत्री मोडू पत्नी रामनारायण जाति कुम्हार निवासी ग्राम रानीपुरा तहसील हिण्डोली हाल निवासी जाखमूण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
   1/1. धन्ना लाल आयु 55 वर्ष
   1/2. रामरतन आयु 52 वर्ष ।
   1/3. भंवर लाल आयु 50 वर्ष पिसरान रामनारायण जाति प्रजापत निवासी जाखमूण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. प्रेमशंकर
2. हेमराज पिसरान उद्दा जाति कुम्हार निवासी ग्राम रानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
3. सांवला आत्मज बाल्या जाति कुम्हार निवासी ग्राम रानीपुरा तहसील हिण्डोली ।
4. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से
2. श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 27.11.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट रामकंवरी ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 53 के अन्तर्गत ग्राम रानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की कुल 06 किता की कुल रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/3 हिस्सा निहित है ।

3. अतः वादी का वादी स्वीकार किया जाकर वादी को वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के हक हिस्से की आराजी में किसी प्रकार की मदाखल व मजाहमत नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत कैम्प रानीपुरा में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2015 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 15.06.2015 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत कैम्प रानीपुरा में रखा गया था जिसकी अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं थी, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी । प्रस्तुत वाद में पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा अथवा सहमति नहीं हुई फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत में निर्णित कर दिया जो राजस्व लोक अदालत की भावना के विरूद्ध होने से तथा राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के विरूद्ध होने से उक्त निर्णय एंव डिक्री निरस्तनीय है । राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और लोक अदालत की भावना से प्रकरण को निर्णित करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे और न ही पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा हुआ था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत की भावना के विपरीत जाकर उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2015 निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी जमाबन्दी पंचशाला संवत् 2008 से 2012 के अनुसार खातेदार के स्थान पर कजोड व सांवला का ही नाम दर्ज है । रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 के पिता उदा खातेदार कजोड का पुत्र है एवं खातेदार सांवला रेस्पोडेन्ट कम 3 है । इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने से पूर्व अर्थात् दिनांक 15.10.1955 को अपीलान्ट रामगोविन्द के पिता खातेदार नहीं थे और न ही अपीलान्ट व अपीलान्ट के पिता मोडू मौके पर काबिज काश्त थे । कानूनन काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय प्रश्नगत भूमि पर जो काबिज था वह व्यक्ति धारा 15 व 19 के तहत स्वतः ही खातेदार हो गया है । काश्तकारी कानून प्रभाव में आने से पूर्व उक्त भूमि पर कजोड व सांवला ही खातेदार के रूप में दर्ज थे और काबिज काश्त थे । ऐसी स्थिति में मोडू की पुत्री रामकंवरी को उक्त भूमि में कोई हक अधिकार सृजित नहीं हुए हैं । रामकंवरी ग्राम जाखमूण्ड तहसील तालेडा में निवास करती थी और वहॉ निवास करते हुए ही दिनांक 27.06.2017 को ग्राम जाखमूण्ड में उसकी मृत्यु हो गई है । रामकंवरी का उक्त भूमि में सवंत् 2008 से अब तक कोई कब्जा नहीं रहा है । ऐसी स्थिति में वादिनी अपीलान्ट खातेदारी घोषणा कराने की

अधिकारी नहीं है । रामकंवरी अपीलान्ट के पिता मोडू के दो पुत्रियॉ रामकंवरी व पुष्पा थी जिसमें से पुष्पा की कुछ वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई है । पुष्पा के वारिस गोपाल, भंवरलाल, मोती, हमनुमान पिता फून्दा माता पुष्पा निवासी मरां तहसील नैनवा है । इस प्रकार अकेली रामकंवरी को उक्त वाद व अपील प्रस्तत करने का कोई हक व अधिकार नहीं है । अपीलान्ट रामकंवरी ने तथ्य छुपाकर अपनी बहन पुष्पा के तथ्य को व पुष्पा के वारिसान होने के बावजूद उनको प्रकरण में पक्षकार नहीं बना कर यह अपील पेश की है जो सरहीन होने से खारिज फरमाई जावे । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2015 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलान्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया था । तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत कैम्प रानीपुरा में रखते हुए निर्णित कर दिया । जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों या पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया हो और वह राजस्व लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद का निरस्तारण राजस्व लोक अदालत में कर दिया जो राजस्व लोक अदालत की भावना के विरूद्ध है तथा राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के विरूद्ध होने से उक्त निर्णय निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता हे कि वह पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण को निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जावे । पक्षकारान दिनांक 27.12.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थिति हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 27.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा